अध्याय XIV

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिनियमित विधान अर्थात् नि:शक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का पालन करते हुए इस्पात मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने की सलाह देता रहा है। अधिनियम की धारा 33 अपंग व्यक्ति को प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम 3% का आरक्षण प्रदान करती है। इस 3% में, (1) अन्धता अथवा कम दृष्टि (2) बधिरता तथा (3) गति विषयक अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों हेतु प्रत्येक के लिए 1% का आरक्षण है।

मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकतर कार्य सतत् तथा श्रम प्रधान प्रकृति के हैं। दूसरे, खनन प्रचालन के मामले में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कानूनी विनियमों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली को ध्यान में रखते हुए विकलांग व्यक्तियों की भर्ती करना संभव नहीं है। तथापि, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम वर्तमान में अधिशेष श्रमशक्ति की समस्या का सामना कर रहे हैं तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वी आर एस) अथवा पुनर्तैनाती के माध्यम से श्रमशक्ति में कटौती के प्रयास किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप अभी कोई भर्ती नहीं हो रही है। इससे नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम का कार्यान्वयन सुचारू रूप से किया जा सकता है।

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

इस अध्याय में निम्नलिखित संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग हुआ है :

बी एल	:	**अन्धता अथवा कम दृष्टि**
एच आई	:	**बधिरता**
एल डी	:	**गति विषयक अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**

इस्पात मंत्रालय

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल+ एचआई+ एलडी)	निशक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3 और कॉलम 1)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम है तो उसके कारण	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्रुप	संख्या	बीएल	एचआई	एलडी					
क	36	-	-	-	-	-	*	-	-
ख	83	-	-	1	-	-	**	-	-
ग	77	-	1	1	2	2.597	फीडर ग्रुप में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलना	-	-
घ	68	1	-	-	1	1.47	-	-	-

* अपर्याप्त रिक्त स्थान ** अपर्याप्त रिक्त स्थान

Untitled-4 109 9/30/04, 11:11 AM

कर्मचारियों की संख्या		निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल+ एचआई+ एलडी)	निशक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3 और कॉलम 1)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम है तो उसके कारण	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		बीएल	एचआई	एलडी					
क	15897	0	3	35	38	0.24			
ख	44371	5	57	276	338	0.76			
ग	90612	16	73	517	606	0.67			
घ	1295	0	1	2	3	0.23			
योग	**152175**	**21**	**134**	**830**	**985**	**0.65**			

1999 से 2003 की अवधि के दौरान हुई भारी वित्तीय हानि के कारण कम्पनी में कार्मिकों की कोई भर्ती नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने 2000 में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है जिसमें अन्य परिवर्तनों, कारोबार एवं वित्तीय समग्र परिवर्तन के लिए निष्पादन में सुधार करने के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना लागू करने के जरिए वर्ष 2005 के अन्त तक श्रमशक्ति कम करके 1,00,000 करने की परिकल्पना की गई है।

बी एल **अन्धता अथवा कम दृष्टि**

एच आई **बधिरता**

एल डी **गति विषयक अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**

टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़े अनंतिम हैं तथा पिछले वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गए हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र

वर्ष 2003-2004 के दौरान (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यन्वयन की स्थिति

कर्मचारी समूह	अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या (अर्थात 7.2.96)	कालम 1 में से निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल बीएल+ एचआई+ +एलडी	निशक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कालम 3 और कालम 1)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम हैं तो उसके कारण	कमी को पूरा करने के के लिए की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
		बीएल	एचआई	एलडी					
	1	2			3	4	5	6	7
क	29	-	-	-	-	-	-	#	-
ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	126	2	1	1	4	3.17	-	-	-
घ	54	1	1	1	3	5.56	-	-	-
	209	3	2	2	7	3.35	-	-	-

जब भी प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी की भर्ती होगी एक पिछली रिक्ति भरी जाएगी।

नेशनल मिनरल डेवपलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी)

कर्मचारियों की संख्या (1)	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या (2)			कुल बीएल +एचआई+ एलडी (3)	निशक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3और कॉलम 1) (4)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम हैं तो उसके कारण (5)	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई (6)
ग्रुप	बीएल	एचआई	एलडी				
क 992	-	-	3			हम अधिकांशतया खानों में तकनीकी पदों पर भर्ती करते हैं। खान अधिनियिम के प्रावधानों के कारण खानों में तथा खनन विनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करना संभव नहीं है।	एनएमडीसी में जब भी गैर तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की जाएगी विकलांग व्यक्तियों को भर्ती करने के हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे।
ख 1090	-	-	10				
ग 2510	1	2	17	1+2+32	0.60%		
घ 1221	-	-	2				
5813	1	2	32	35			

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

के आई ओ सी एल की स्थापना अर्थात् अप्रैल, 1976 से भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। निर्देशों के अनुसार के आई ओ सी एल में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए आरक्षण की प्रतिशतता नीचे दी गई है‘–

अंधे	1%
बधिर	1%
अस्थि विकलांग	1%

निदेशों के अनुसार 1980 में औद्योगिक इंजीनियरी विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। के आई ओ सी एल के प्रति जटिल पूर्णत: पंजीकृत खनन संगठन सैन के कारण शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी क्षेत्रों में नौकरी देना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है और प्रचलन मुख्य रूप से अर्थ मूविंग उपस्करों और जटिल मशीनों से किया जाता है इसलिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने की सम्भावना बहुत सीमित है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की क्षमता तथा संगठन में उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों के रोजगारों को ध्यान में रखते हुए सभी तीनों श्रेणियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कुछ पद अभिज्ञात किए गए हैं।

कर्मचारियों की संख्या (1)	नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या (2)			कुल बीएल +एचआई+ एलडी (3)	निशक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3और कॉलम 1) (4)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम हैं तो उसके कारण (5)	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई (सी) (6)	अभ्युक्तियां (7)
ग्रुप	बीएल	एचआई	एलडी					
क 483	1	-	2	3	0.62	कार्य की जोखिमता के कारण भर्ती की गुंजाइश सीमित है।	भावी भर्ती कम्पनी के बने रहने पर निर्भर करेगी	
ख 234	-	1	10	11	4.70			
ग 1250	2	4	10	16	1.28			
घ 185	1	3	2	6	3.24			

कुद्रेमुख में खनन प्रचलनों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। तथापि जब भी समूह ‘क’ और ‘ग’ के लिए भर्ती की जाएगी, पिछली रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या		अभिज्ञात उन पदों की कुल संख्या जहां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है	नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या (बीएल+एचआई +एलडी)	नि:शक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3 और कॉलम 1)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम हैं तो उसके कारण	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समूह	संख्या					
क	202	30				
ख	188	85				
ग	1373	260	8	3.07%	–	–
घ	5396	95	7	7.36%	–	–

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड खनन कम्पनी है और इसके प्रमुख कार्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित भूमिगत खानों में किए जाते हैं, अत: खान अधिनियम और धात्विक लौह खनिज विनियम के अन्तर्गत सांविधिक प्रतिबंधों के कारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से खानों में कठोर प्रवृत्ति के कार्यों पर निशक्त व्यक्तियों को तैनात नहीं किया जा सकता है। पिछले 5-6 वर्षों में इन क्षेत्रों में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। तथापि जब भी इन अभिज्ञात संवर्ग में जब भी रिक्ति होगी विकलांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में इस पर ध्यान रखा जाएगा।

एमएसटीसी लिमिटेड

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या		कुल (बीएल+एचआई +एलडी)	नि:शक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3 और कॉलम 1)	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम हैं तो उसके कारण	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
समूह		एचआई	एलडी				
क	118	1	1	2	1.69		
ख	113	1	2	3	2.56	*	
ग	20	–	–	–	–		
घ	27	1	–	1	3.70		
योग	278	3	3	6	2.15		

*समूह 'ख' में कोई भर्ती नहीं की जा रही है।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफ एस एन एल के कार्य सभी मौसमों में खुले क्षेत्रों में होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रचालनात्मक कार्यकलाप करने में भारी उपकरणों जैसे बालिंग क्रेन, मैग्नेटिक सैपरेटर, डोजर डम्पर आदि का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एफ एस एन एल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निशक्त व्यक्तियों को लगाने की सिफारिश नहीं की गई है।

जहां सम्भव होता है, एफ एस एन एल द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों को समूह ''ग'' में कार्यालय के कार्यों में लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 बनने की ध्यान में रखते हुए 3 पद अभिज्ञात किए गए हैं और समूह 'क' में निशक्त व्यक्तियों के लिए गैर-कारखाना विभागों में आरक्षित किए गए हैं।

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल+एचआई +एलडी)	नि:शक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता	यदि कालम 4 के आंकड़े 3% से कम हैं तो उसके कारण	कमी को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
समूह		बीएल	एचआई	एलडी			कार्य की जोखिमता के कारण भर्ती की गुंजाइश सीमित है	भावी भर्ती कम्पनी के बने रहने पर निर्भर करेगी	
क	140	–	–	–	–	–			
ख	187	–	–	–	–	–			
ग	841	–	–	–	–	–			
घ	03	–	–	–	–	–			
योग	1171	–	–	–	–	–			

पद का समूह	कुल स्वीकृत संख्या	अभिज्ञात पदों में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या	वास्तविक रूप से नियुक्त निशक्त व्यक्तियों की संख्या
क	119	7	2
ख	106	—	3
ग	28	7	—
घ	27	2	1

मेकॉन लिमिटेड

कम्पनी ने निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है।